

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

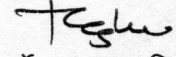
क्रमांक : एफ.4(ई)(ए-2697/2013)/अलेसे-III/6535

दिनांक :- 24.12.2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक के कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 05 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	लिक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है :-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	
1	2	3	4	5
1	12569	श्रीमती अनिता कासोटिया, क0 लेखाकार	दि. 14.07.17 से दि. 19.07.17	निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(ए-2697/2013)/अलेसे-III/6535

दिनांक :- 24.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका कार्यालय निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. श्रीमती अनिता कासोटिया, क0 लेखाकार, कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग-3), जयपुर।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)